न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशा.)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- श्री ए.एच.गौरी , आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 01/2019

श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीकानेर हाल- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही(राजस्थान)

प्रार्थी

-: बनाम :-

1. दिनेश मोदी पुत्र नथमल मोदी, पठानों का मौहल्ला, फड़ बाजार बीकानेर- मैसर्स गणेश भण्डार, फड़ बाजार बीकानेर (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. कान्ता अरोड़ा, पुत्री महावीर प्रसाद बी-1-17 सुदर्शना नगर, बीकानेर- अम्बिका एण्ड कम्पनी, फड़ बाजार बीकानेर (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर फर्म)
3. शुभांगी राजपुरोहित एस.आर. एन्टरप्राईजेज, F-26 Area RIICO Industrial Gegal अजमेर राजस्थान
4. श्री सुरेन्द सिंह राजपुरोहित- श्री खेतेश्वर डेयरी, H-97 RIICO Industrial Area Gegal अजमेर राजस्थान (नोमिनी निर्माता फर्म)
5. श्री खेतेश्वर डेयरी, H-97 RIICO Industrial Area Gegal अजमेर राजस्थान जरिये:- सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित(नोमिनी निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011</u>

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से	- श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2	- श्री रमेश पारीक अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से	- श्री मोहनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

निर्णय

दिनांक 30.05.2019

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थीपक्ष श्री दिनेश मोदी पुत्र नथमल मोदी (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स श्री गणेश भण्डार, फड़ बाजार बीकानेर के यहां दुकान के निरीक्षण दौरान आलमारी की रैक में आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद, खाद्य पदार्थ घी(अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) 30 पैक्ड पैकेट x 500 एम.एल. में से 4X500 पैक्ड पैकेट घी(अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) खरीदा, खरीदशुदा घी(अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) की कीमत 720 रू. अदा की एवं खरीद रसीद एवं बिल प्राप्त किया, फार्म संख्या 5 ए तैयार किया, खाद्य कारोबार कर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वयं प्रार्थी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वयं प्रार्थी खा.सु.अ. ने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गौंद से चिपकाया तथा नमूना पैकेटों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. बीकानेर पेपर स्लिप जे- 1451 को चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागें से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी खा.सु.अ. ने हस्ताक्षर किये। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबार कर्ता ने पढकर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। तदन्तर चार सीलबन्द पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/87/Act/ 2018/ 182

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 31.01.2018 द्वारा जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रमेश पारीक अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से श्री मोहनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Ghee (Ajmer Fresh)" bearing Code No. and Sr. No. J-1451 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी खा.सु.अ. द्वारा अप्रार्थी से प्राप्त नमूना घी का मिसब्राण्ड मानकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट में सील नमूना घी को मिसब्राण्ड किस आधार पर माना है। रिपोर्ट में कही उल्लेख नहीं किया है। नमूना किसी प्रकार से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि उक्त घी न तो किसी अन्य नाम से विक्रय किया जा रहा था, न किसी प्रकार का कृत्रिम सुरूचिकाराक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी दुकान में विक्रय करने हेतु उक्त घी(अजमेर फ्रेस एगमार्क काउ घी) को अन्य से क्रय किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 न तो उक्त घी का निर्माता है व ना ही उक्त घी की पैकेजिंग हेतु उतरदायी है। परिवाद में जो आरोप लगाया गया वह पूर्णतया निराधार है। धारा 26 की उपधारा 2(ii) में मुख्यतया दायित्व खाद्य कारबारकर्ता का है न कि अपने स्व–रोजगार के लिए नियोजित फुटकर विक्रेता का, अभियुक्त संख्या 1 मात्र एक फुटकर विक्रेता है, घी अन्य अभियुक्तगण से खरीद कर मात्र विक्रय का कार्य कर रहा है ना कि खाद्य कारबाररकर्ता है। उक्त परिवाद अभियुक्त संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो अभियुक्त संख्या 1 व 2 की हद तक काबिले खारिज है। अतः अभियुक्त संख्या 1 व 2 की हद तक खारिज फरमाया जाकर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने कां आदेश फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 का नोटिस खाद्य पदार्थ घी(अजमेर फ्रेस ब्राण्ड) पोली पैक्ड मिस ब्राण्ड स्तर का निर्माण एवं विक्रय किये जाने पर प्राप्त हुआ है। अभियुक्तगण का निवेदन है कि उनका उत्पाद सब स्टेण्डर्ड नहीं है। जिससे उपभोग करने वाले के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान हो केवल लेबल मिसब्राण्ड पाया गया है। जिस बाबत आयन्दा और सावधानी रखी जावेगी। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस बार नर्म रूख रखते हुए जुर्माना लगाने की कृपा करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गय खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/87/Act/ 2018/ 182 दिनांक 31.01.2018 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Ghee (Ajmer Fresh)" bearing Code No. and Sr. No. J-1451 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये खाद्य सामग्री का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था, जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप) खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भण्डारन, विक्रय एवं वितरण के समान रूप से दोषी है।

7. अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ घी(अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 40,000/– अखरे रूपये **चालीस हजार** रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से राशि 20,000/– अखरे बीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की शास्ति राशि प्रत्येक 10–10 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगें।

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरक एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खादय पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 वितरक तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेताओं द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खादय सामग्री खाद्य पदार्थ घी (अजमेर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का वितरण/विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 20,000/– अखरे बीस हजार रूपये में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेता की शास्ति राशि 10,000/– रूपये यानि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक की शास्ति राशि 5,000/–, 5,000/– रूपये भरने हेतु दायी होगा। अप्रार्थी संख्या 3 वितरक की शास्ति राशि 10,000/– रूपये भरने हेतु दायी होगा।

12. इस प्रकार आरोपित 40,000/– रूपये की शास्ति में से 20,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (विक्रेता) प्रत्येक 5,000/–, 5000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 वितरक 10,000/– रूपये की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर,एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 5 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner